पत्रांक— 15/जी—1—20/2000अंश उ०शि०— 09

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शीत द्वारा:— वित्त विभाग

पटना, दिनांक 11.9. 2009.

विषय: विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना के कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2009—10 में गैर योजनान्तर्गत मद से वेतनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में 23,51,000/— (तेइस लाख इक्कावन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009—10 में विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु गैर योजनामद 23,51,000/— (तेइस लाख इक्कावन हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान इस शर्त्त के साथ स्वीकृत करने की कृपा की है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही निरसन अधिनियम की धारा 4 की उप कंडिका (ii) के प्रावधान के आलोक में इन कर्मियों की सेवा के संबंध में आवश्यक निर्णय लें।

2. व्यय का विकलन बजट शीर्ष—2202—सामान्य शिक्षा—03— विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा —800—अन्य व्यय मांग संख्या 21 उप शीर्ष—0004 विश्वविद्यालय सेवा आयोग विपत्र कोड—एन—2202038000004 विषय शीर्ष 3101 सहायक अनुदान आवर्त्तक के अन्तर्गत के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 में होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से लेखापदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी तथा वे विघटित आयोग के कर्मियों को भुगतान करेंगे।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.07 एवं महालेखाकार, बिहार के पत्रांक 877—907 दिनांक 08.11.07 के आलोक में ओदश निर्गत किया जा रहा है। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार—पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि व्यय सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर होगा तथा राशि का उपयोग उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है और यदि राशि बच जाती है तो उसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाएगा।

Anu

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को यह अधिकार होगा कि विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग की लेखा का अंकेक्षण करें। जिस खास उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है उसका व्यय उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाएगी ताकि उसका लेखा–जोखा आयोग द्वारा अलग से रखा जाएगा।

राशि स्वीकृति के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त होने के बाद अलगे वर्ष की अनुदान राशि विमुक्त की जाएगी। व्यय विवरणी के अनुसार राशि खर्च किया जाए। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

7. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित कर दिया गया है।

8. वित्त विभाग को यू० ओ० आर० संख्या–610/F8 दिनांक : 7.9.09 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–15/जी–1–20/2000अंश उ०शि०.......09.......पटना, दिनांक 11.9.09
प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विघटित आयोग), मानव संसाधन विकास विभाग/वित्त विभाग, प्रशाखा–9बजट शाखा/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/वेबसाइट कोषांग मानव संसाधन विकास विभाग/बजट पदाधिकारी–सह–लेखा पदाधिकारी मानव संसाधन विकास विभाग/लेखा पदाधिकारी मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक उच्च शिक्षा/सभी उप निदेशक/लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी 5 एवं 15/कार्यवाहक सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

11.9.09

(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

11.9.09

व्यय विवरणी

विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में गैर योजनान्तर्गत मद से वेतनादि भुगतान हेतु स्वीकृत अनुदान की व्यय विवरणी :–

क्रम सं०	मद	स्वीकृत राशि
1.	पदाधिकारियों एव कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 का वेतनादि/पेंशनादि पर व्यय	23,51,000/–
		23,51,000/– (तेइस लाख इकावन हजार रु० मात्र)

11.9.09

(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

11.9.09

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।